प्रेस विज्ञप्ति
जनपद बस्ती
दिनांकः-29.07.2021

थाना वाल्टरगंज पुलिस, स्वाट टीम एवं एंटी नारकोटिक्स टीम की संयुक्त कार्यवाही द्वारा पुलिस मुठभेड़ में अन्तर्जनपदीय अभियुक्त को एक अदद तमन्चा 12 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एंव अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर श्री शक्ति सिंह के नेतृत्व में थानाध्यक्ष वाल्टरगंज दुर्विजय मय पुलिस बल, प्रभारी निरीक्षक स्वाट टीम विकास यादव एवं प्रभारी एंटी नारकोटिक्स टीम श्री योगेश सिंह मय टीम की संयुक्त कार्यवाही द्वारा आज दिनांक-29.07.2021 को अभियुक्त **1.** सुरेन्द्र जायसवाल उर्फ सुरेन्द्र तिवारी पुत्र जोखन जायसवाल निवासी ग्राम थुन्ही बाजार थाना झंगहां जनपद गोरखपुर(उ0प्र0) को कस्बा वाल्टरगंज, बक्सई तिराहे के निकट गायघाट पौधशाला के पास से पुलिस मुठभेड़ में एक अदद देसी तमंचा 12 बोर, एक अदद ज़िंदा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया |
पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के दाहिने पैर मे गोली लग गयी एवं अभियुक्त द्वारा किये गये फायर की गोली हे0का0 राघवेन्द्र पाण्डेय (थाना वाल्टरगंज) के बायें हाथ को छूते हुए निकल गयी।
जिसके सम्बन्ध में थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती पर अभियुक्त सुरेन्द्र जायसवाल उर्फ सुरेन्द्र तिवारी पुत्र जोखन जायसवाल के विरुद्ध मु0अ0सं0 174/2021 धारा 307 IPC तथा मु0अ0सं0 175/2021 धारा 3/25 Arms Act, 5/27 Arms Act पंजीकृत किया गया |

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अभियुक्त सुरेन्द्र जायसवाल उर्फ सुरेन्द्र तिवारी पुत्र जोखन जायसवाल निवासी ग्राम थुन्ही बाजार थाना झंगहां जनपद गोरखपुर(उ0प्र0)।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद देसी तमंचा 12 बोर |
2. एक अदद ज़िंदा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर |
3. दो कागज की गड्डी व एक अदद लाकेट पीली धातु।
4. एक अदद बुलेट मोटर साइकिल (नम्बर स्पष्ट नही)।
5. रुपये 11,070/- नगद।

पूछताछ/घटना का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त सुरेन्द्र जायसवाल उर्फ सुरेन्द्र तिवारी द्वारा बताया गया कि मैं कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीर नगर, बस्ती व अयोध्या जनपदों में वृद्ध महिला/पुरुष जो कि शारीरिक व मानसिक रुप से कमजोर दिखते है, जिनके गले की चैन या सोने की अंगुठी को धोखे से या फिर छीन कर ले लेता हूँ तथा बैंक के ग्राहक जो गांव के अनपढ़/गंवार महिला या पुरुष होते है उनकी रैकी कर, उन्हें मूर्ख बनाकर उनके नोटों की गड्डी को अपने कागज की गड्डी से बदल लेता हूँ जिसके उपर व नीचे असली नोटें लगी होती हैं।

बरामद सामानों के सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि जून के महिने में देईपार कस्बे में पंजाब नेशनल बैंक के पास से एक महिला को मूर्ख बनाकर कागज की एक गड्डी देकर उसके रुपये 14,000/- के नोट से बदल लिया था एवं जो पैसे मेरे पास से बरामद हुए है वो उसी महिला से ठगे पैसों में से खर्च के बाद बचे पैसे हैं। लाकेट के सम्बन्ध में बताया कि माह जून मे ही सुबह के समय मूड़घाट रोड से एक वृद्ध महिला को मूर्ख बनाकर उसकी सोने की चैन व लाकेट को लेकर भाग गया था एवं अपनी बुलेट से ही सभी घटनाओं को करता हूँ, जो आज आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया हैं तथा तमन्चे का प्रयोग मै अपनी सुरक्षा के लिए करता हूँ।

मैं जो भी आभूषण लूट या झांसा देकर प्राप्त करता हूँ उसे वर्मा स्वर्ण कला केन्द्र जो गाजीपुर, मगहर चौराहा जनपद सन्तकबीर नगर के दुकानदार को कम दामों मे बेच देता हूँ हम दोनों लोग मिलकर आर्थिक, घरेलू खर्च व अन्य लाभों के लिए यह काम करते हैं।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 144/2021 धारा 420 IPC थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती।
2. मु0अ0सं0 174/2021 धारा 307 IPC थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती।
3. मु0अ0सं0 175/2021 धारा 3/25 Arms Act, 5/27 Arms Act थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती।
4. मु0अ0सं0 264/2018 धारा 406, 420, 411, 413 IPC थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
5. मु0अ0सं0 354/2018 धारा 406, 420, 411, 413 IPC थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
6. मु0अ0सं0 340/2018 धारा 406, 420, 411, 413 IPC थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।
7. मु0अ0सं0 359/2018 धारा 8/20 NDPS Act IPC थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।
8. मु0अ0सं0 365/2018 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट IPC थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।
9. मु0अ0सं0 327/2018 धारा 406 IPC थाना गगहा जनपद गोरखपुर।
10. मु0अ0सं0 415/2018 धारा 406 IPC थाना बासगाँव जनपद गोरखपुर।
11. मु0अ0सं0 140/2019 धारा 406, 420 IPC थाना लार जनपद देवरिया।
12. मु0अ0सं0 182/2019 धारा 3/25 Arms Act थाना लार जनपद देवरिया।
13. मु0अ0सं0 09/2021 धारा 392 IPC थाना कसयां जनपद कुशीनगर।
14. मु0अ0सं0 134/2019 धारा 420 IPC थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर।
15. मु0अ0सं0 231/2021 धारा 420, 379 IPC थाना कोतवाली जनपद बस्ती।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. स्वाट प्रभारी निरीक्षक श्री विकास यादव जनपद बस्ती |
2. थानाध्यक्ष वाल्टरगंज श्री दुर्विजय जनपद बस्ती |
3. प्रभारी एंटी नारकोटिक्स टीम उ0नि0 श्री योगेश सिंह जनपद बस्ती |
4. उ0नि0 जितेन्द्र मिश्र, उ0नि0 ललितकान्त यादव थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती ।
5. हे0का0 राघवेन्द्र पाण्डेय, का0 रंजीत कन्नौजिया, का0 अभिषेक यादव, का0 प्रदीप सिंह, चालक हे0का0 बासुदेव यादव थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती |
6. हे0का0 मनोज राय, हे0का0 मनिन्द्र प्रताप चन्द्र, का0 रविन्द्र प्रताप सिंह, का0 रविशंकर शाह स्वाट टीम जनपद बस्ती ।
7. हे0का0 महेन्द्र यादव, का0 कुलदीप यादव, का0 सर्वेश नायक, का0 गोपाल मिश्रा एंटी नारकोटिक्स टीम जनपद बस्ती |